बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग-1—कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

मंगलवार, तिथि 27 जुलाई, 1982।

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :—	
अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या—25, 27 (प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द), एवं 29।	1—10
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—2127 (प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द), 2632, 2633, 2634, 2635 एवं 2636।	11—21
परिशिष्ट—(प्रश्नों के लिखित उत्तर) :— ...	23—82
दैनिक निबंध ..	83—92

टिप्पणी :—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

माध्यमिक विद्यालयों का उत्क्रमण।

2671. श्री अजित कुमार सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के एक भी माध्यमिक विद्यालयों को इन्टरमीडिएट स्तर तक उत्क्रमित नहीं किया गया है, जब कि कॉलेज सेवा आयोग द्वारा 40,000 आवेदकों का साक्षात्कार, प्रारंभ कर दिया गया है, यदि हां तो क्या सरकार राज्य के माध्यमिक विद्यालयों को इन्टरमीडिएट स्तर तक उत्क्रमित करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री करमचन्द भगत—प्रश्न के पूर्वांश का उत्तर स्वीकारात्मक है। इन्टर कॉलेज के विभिन्न विषयों में व्याख्याताओं के पद के लिये करीब 35,000 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। केवल पदार्थ विज्ञान विषय के उम्मीदवारों का साक्षात्कार हुआ है। प्राप्त सूचना के अनुसार इसके बाद साक्षात्कार बंद कर दिया गया है।

इन्टर कॉलेज, कॉलेज शिक्षा का अंग रहेगा अथवा माध्यमिक शिक्षा का इस नीति मूलक प्रश्न पर अभी निर्णय नहीं हो सका है। अतः तत्काल राज्य के माध्यमिक विद्यालयों को इन्टरमीडिएट स्तर तक उत्क्रमित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

तदर्थ नियुक्ति को रद्द करना।

2674. श्री ब्रजकिशोर नारायण सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में नवम्बर, 1981 तक दो हजार शिक्षकों के पद रिक्त थे;

(2) क्या यह बात सही है कि मा० शि० पर्षद् द्वारा शिक्षकों की अनुशंसित सूची का पुनरीक्षण 90 प्रतिशत योग्यता और 10 प्रतिशत अन्तर्वीक्षा के आधार पर करने का आदेश दिया गया था;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त पर्षद के अनुशंसित सूची के बिना किसी नियुक्ति के दिसम्बर, 1981 में विभाग द्वारा अवक्रमित कर दिया गया;

(4) क्या यह बात सही है कि उक्त रिक्तियों के विरुद्ध वर्त्तमान मा० शि० पर्षद् के पदाधिकारियों द्वारा 43 अयोग्य शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति अनियमित ढंग से 31 मई, 1982 तक हो गई है;